अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 230(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) और (2) तथा नियम 7 के उप नियम (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सप्तम संशोधन विनियमावली, 2008 है ।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद सख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "छत्तीसगढ़" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद - 74

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
मुख्य सचिव	1	—
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1	2
सरकार के प्रमुख सचिव	5	2
कृषि उत्पादन आयुक्त	1	2
मुख्य चुनाव आयुक्त	1	2
सरकार के सचिव	10	2
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2
निदेशक, प्रशासन अकादमी	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
उत्पाद आयुक्त	1	2
आयुक्त, जनजातीय विकास	1	2
आयुक्त, उद्योग	1	2
आयुक्त, कोष, लघु बचत तथा लाटरी	1	2
कलेक्टर	16	2
कार्यपालक निदेशक, डी.आर.डी.ए. तथा पदेन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत	6	2
अपर कलेक्टर	3	2
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	10	2
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1	2
सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग	1	2
निदेशक, अनुदेशन	1	2

निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1	2
निदेशक, भूमि रिकार्ड	1	2
निदेशक, शहरी प्रशासन	1	2
निदेशक, पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, कृषि	1	2
कुल	74	—

2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	30
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	19
4.	प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से	03
5.	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ट पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	12
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	41
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद संख्या 1+2+3+4+5+6)	97
	कुल प्राधिकृत संख्या	138"

[सं. 11031/6/2002-अ.भा.से.-II(क)]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 138 थी ।

टिप्पणी (2) : मूल विनियम 22 अक्तूबर,1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ के संबंध में इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए ।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1.	811अ	21.10.2000
2.	812अ	21.10.2000
3.	427	18.12.2004

114265/08-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause (C) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service(Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Chhattisgarh" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:-

"CHHATTISGARH

1.	**Senior Duty Posts under the State Government of Chhattisgarh**	**74**	
	Name of Posts	**Number of posts**	**Minimum tenure for posting (in years)**
	Chief Secretary	1	-
	President, Board of Revenue	1	2
	Principal Secretary to the Government	5	2
	Agriculture Production Commissioner	1	2
	Chief Electoral Officer	1	2
	Secretary to Government	10	2
	Member, Board of Revenue	1	2
	Commissioner, Commercial Taxes	1	2
	Commissioner, Government of Chhattisgarh, New Delhi	1	2
	Registrar, Cooperative Societies	1	2
	Secretary to Governor	1	2
	Secretary to Chief Minister	1	2
	Director, Academy of Administration	1	2
	Labour Commissioner	1	2
	Excise Commissioner	1	2
	Commissioner, Tribal Development	1	2
	Commissioner, Industries	1	2
	Commissioner, Treasuries, Small Savings and Lotteries	1	2
	Collector	16	2

	Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat	6	2
	Additional Collector	3	2
	Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	10	2
	Director, Food, Civil Supplies & Consumer Protection	1	2
	Secretary, Chhattisgarh Public Service Commission	1	2
	Director, Public Instruction	1	2
	Director, Women and Child Development	1	2
	Director, Land Records	1	2
	Director, Urban Administration	1	2
	Director, Panchayat & Social Welfare	1	2
	Director, Agriculture	1	2
	TOTAL	**74**	
2.	Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	30	
3.	State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	19	
4.	Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3	
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	12	
6.	Posts to be filled by promotion (not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above)	41	
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	97	
	Total Authorised Strength	**138"**	

[No. 11031/6/2002-AIS. II (A)]
CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of the Chhattisgarh cadre was 138.

Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated the 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Chhattisgarh Cadre vide the following GSR Numbers and dates:-

S.No.	GSR No.	DATE
1.	811E	21.10.2000
2.	812E	21.10.2000
3.	427	18.12.2004